वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 03.12.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ",अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, जनसंदेश टाइम्स, दैनिक जागरण आईनेक्स्ट, न्यायाधीश,परफेक्ट मिशन,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 03.12.2024

1315 भवन स्वामियों को पेंट और मरम्मत कराने की मिलेगी सुविधा

गंगा के 200 मीटर दायरे के लोगों को मिलेगा फायदा

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। गंगा के 200 मीटर दायरे के भवनों में पेंट और बगैर संरचना में बदलाव किए मरम्मत कराना आसान हो गया है। वीडीए के नियमों में शिथिलता के कारण 1315 भवन स्वामियों को मरम्मत करने के लिए अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

वीडीए के अनुसार दीवारों पर सीमेंट का प्लास्टर करने, प्लास्टर की मरम्मत, दोबारा फर्श का निर्माण, रंगाई-पुताई, सेप्टिक टैंक, सोक पिट का निर्माण, हैंडपंप लगाने, नाला-नाली निर्माण, सोलर पैनल लगाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दीवारों का पुनर्निर्माण, पुराने भवन को तोड़कर नया भवन बनाने, छत, बालकनी, बरामदे के निर्माण के अलावा किसी भी प्रकार के अंदर या बाहर की संरचनाओं में बदलाव के लिए अनुमति लेनी होगी।

भवन स्वामियों को मरम्मत के लिए कार्यालियों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे

इस काम के लिए जोनल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। जोनल अधिकारी आवेदन-पत्र के साथ जमा किए गए भवन का मानचित्र, भवन की लोकेशन का की-प्लान, साइट प्लान, स्थल पर मौजूद भवन का वर्तमान भू-आच्छादन, विद्यमान सेट-बैक, सभी तलों के प्लान, सेक्शन ऐलीवेशन, आदि का भौतिक सत्यापन करेंगे। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार इस साल 19 लोगों ने आवेदन किया था। जिन्हें सशर्त अनुमति दी गई थी। किसी भी संरचनाओं में बदलाव की अनुमति नहीं दी गई है।

अमर उजाला–दि0 03.12.2024

दिसंबर में 10 अवैध प्लॉटिंग कराएं ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने सोमवार को वीडीए सभागार में अब तक कुल जमा मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, बकाया शमन शुल्क की वसूली, अस्वीकृत मानचित्र पर प्रवर्तन की कार्रवाई, बकाएदारों से वसूली की समीक्षा की। सभी जोनल अधिकारियों को दिसंबर में 10 अवैध प्लॉटिंग चिह्नित कर ध्वस्त करने का निर्देश दिया। वीडीए सचिव ने कहा कि अवैध निर्माण का अधिक से अधिक शमन मानचित्र दाखिल कराएं। बेसमेंट को खाली कराएं। अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कराने के साथ मुकदमा दर्ज कराएं। पेट्रोल पंपों का सर्वे करें। नक्शा स्वीकृत न हो तो प्रवर्तन की कार्रवाई करें।

आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण के लिए जोनल अधिकारी व जेई मौके पर जाएं। संबंधित निर्माण की फोटो खींचे। शिकायतकर्ता को बुलाकर उनकी बात सुनें। जोन तीन में 31 शमन मानचित्र स्वीकृत की गई। इसके लिए 82.65 लाख रुपये जमा कराए। जोन चार में 11 शमन मानचित्र स्वीकृत कर 43.77 लाख रुपये जमा कराएं। जोन पांच में 9 मानचित्र स्वीकृत किए गए। 24.93 लाख रुपये जमा कराए गए। बैठक में संयुक्त सचिव परमानंद यादव मौजूद रहे। ब्यूरो

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 03.12.2024

नक्शा पास नहीं कराने वाले पेट्रोल पंप पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण के सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने निर्देश दिया कि सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया कि कुछ लोग बिना नक्शा पास कराए पेट्रोल पंप का संचालन कर रहे हैं। इसके लिए सभी पेट्रोल पंप का सर्वे कर नक्शे की जांच करें। यदि स्वीकृत नक्शा नहीं है तो कार्रवाई की जाए।

सचिव वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार में जोन-3, जोन-4, जोन-5 से संबंधित नवंबर में जमा मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, बकाया शमन शुल्क की वसूली, अस्वीकृत मानचित्र पर प्रस्तावित प्रवर्तन की कार्रवाई, बकाएदारों से वसूली की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिया कि बेसमेंट को खाली कराए जाने, अवैध प्लाटिंग का ध्वस्तीकरण, मुकदमा दर्ज कराने का कार्रवाई में तेजी लाएं। उन्होंने बताया कि नवंबर में कुल 51 शमन मानचित्र पत्रावलियों की स्वीकृति हुई। इसके अलावा 82,65,692 रुपये शुल्क के तौर पर जमा हुए।

जोन चार 4377506 और पांच में 2493531 रुपये शुल्क वसूले गए। कहा कि आइजीआरएस के मामलों को प्राथमिकता से निवटाया जाए। लक्ष्यों को पूरा कर लिया जाए। सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जोनल अधिकारी व जेई मौके पर जाएं। बैठक में संयुक्त सचिव परमानंद यादव, जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, प्रमोद कुमार तिवारी और श्रीप्रकाश कुमार आदि लोग मौजूद रहे।

हिन्दुस्तान–दि0 03.12.2024

बिना नक्शा वाले पेट्रोल पंपों को तुरंत सील करें

- वीडीए सचिव ने सभी जोनल अधिकारियों को बैठक में दिए कड़े निर्देश
- अवैध प्लॉटिंग चिह्नित कर ध्वस्त करने का लक्ष्य भी दिया

वाराणसी। वीडीए सभागार में सोमवार को सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने नवंबर में जमा मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, बकाया शमन शुल्क की वसूली, अस्वीकृत मानचित्र पर प्रस्तावित प्रवर्तन की कार्रवाई, बकायेदारों से वसूली की प्रगति जानी। सचिव ने कहा कि जोनल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सभी पेट्रोल पम्प का सर्वे करें। यदि स्वीकृत नक्शा नहीं है तो तत्काल सील करें।

सचिव ने बेसमेंट को खाली कराने, अवैध प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण कराने सहित मुकदमा दर्ज कराने, अवैध पेट्रोल पम्प की जांच आदि बाबत की रिपोर्ट जानकारी ली। उन्होंने जोनल अधिकारियों से दिसंबर में 10 अवैध प्लॉटिंग की पहचान कर ध्वस्त करने का लक्ष्य भी दिया। अवैध निर्माणों के संबंध में अधिक संख्या में शमन मानचित्र दाखिल कराने पर भी जोर दिया। कहा कि नवंबर में जिसका लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है वे दिसंबर अंत तक सभी लक्ष्यों को पूरा करें। आईजीआरएस पोर्टल पर हुई शिकायतों के निस्तारण में देरी पर नाराजगी जताई। कहा कि जोनल अधिकारी व जेई मौके पर जाएं। संबंधित निर्माण की फोटो खींचे। शिकायतकर्ता को बुलाकर उनकी बात सुनें और नियमानुसार निस्तारण करें।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 03.12.2024

वीडीए ने सेटेलाइट से पकड़े दो अवैध निर्माण

जनसंदेश न्यूज

निगरानी

अवैध निर्माण पर काबू के लिए पहली बार जांच, 49 नवनिर्माण चिह्नित

इन्फोर्समेंट जियाट्रिक्स सॉफ्टवेयर सेटेलाइट से जांच किया, वहीं अवैध

वाराणसी। वीडीए अवैध निर्माण पर नियंत्रण करने औरआसानी से पकड़ने के लिए अब सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर विभाग ने शहर में दो जगहों पर अवैध निर्माण को जहां

निर्माण को पकड़ भी लिया। इसको लेकर विभाग ने वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर अवैध निर्माण को तत्काल पकड़ने के लिए सेटेलाइट का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। सेटेलाइट के आधार पर जोन-01 में 1000 वर्गमीटर से दो बड़े निर्माण स्थलों की आसानी से जांच की गयी। जिनका मानचित्र स्वीकृत पाया गया। इसी प्रकार सेटेलाइट के माध्यम से तकनीकी टीम ने जोन-03 दशाश्वमेध में दुल्हन पैलेस मैरिज लॉन और मौर्य मंगलम लान में चल रहे अवैध निर्माण को पकड़ा। जिसके विरुद्ध वीडीए ने निर्माणकर्ता को जहां नोटिस जारी किया, वहीं निर्माणकर्ता के विरुद्ध सख्त कारवाई भी किया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर तकनीकी टीम ने प्रथम चरण में1000 वर्ग मीटर से बड़े 49 नव निर्माणों का चिह्नांकन किया। जिसमें क्रमशः जोन-01, 02 एवं 03 में शामिल है।

सॉफ्टवेयर की प्रखुख विशेषताएं

☛ सेटेलाइट डाटा के आधार पर निर्माण का क्षेत्रफल, तल एवं निर्माण होने की अवधि का विवरण उसके अक्षांश, देशान्तर सहित प्राप्त हो जाता है। ☛ वीडीए के विकास क्षेत्र में स्थित आराजियों/गाटों का भू-प्रयोग उक्त सॉफ्टवेयर पर अपलोड है, जिससे निर्माण स्थल का भू-प्रयोग भी सेटेलाइट डाटा के साथ ही प्राप्त हो जाता है। ☛ सॉफ्टवेयर द्वारा नव निर्माण स्थल तक पहुंचने का अनुकूल मार्ग गूगल लोकेशन के साथ दर्शित किया जाता है एवं स्थल तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जाती है। ☛ इस सॉफ्टवेयर से सेटेलाइट डाटा के आधार पर 30 सेंटीमीटर तक के विचलन का भी चिह्नांकन कर लिया जाता है। ☛ सॉफ्टवेयर से चिह्नित नव निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग का लोकेशन विवरण सहित लिंक सम्बन्धित जोन में प्रेषित कर दिया जाता है। जिसे जोन के अधिकारी/कार्मिक उक्त चिन्हित स्थलों का निरीक्षण कर सकेंगे औरअग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। ☛ सॉफ्टवेयर के माध्यम से सेटेलाइट डाटा का प्रयोग करते हुए अधिक संख्या में नव निर्माणों का जहां चिह्नांकन करते हुए शमन कराया जायेगा या उनके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही की जायेगी। जिससे विभाग के राजस्व में वृद्धि होने के साथ-साथ शहर के सुनियोजित विकास को भी गति मिलेगी। ☛ सॉफ्टवेयर से सेटेलाइट डाटा के आधार पर निर्माण के पूर्व स्थल का फोटो एवं निर्माण के दौरान/पश्चात स्थल का फोटो दर्शित किया जायेगा। ☛ सेटेलाइट इमेज के आधार पर जोन-01 में 1000 वर्गमीटर से बड़े 02 निर्माण स्थलों की आसानी मौके पर जांच की गयी। जिनका मानचित्र स्वीकृत पाया गया। इसी प्रकार जोन-03 दशाश्वमेध में 02 लॉन (दुल्हन पैलेस मैरिज लॉन एवं मौर्य मंगलम लान) में अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसके विरुद्ध वीडीए ने निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किया गया।

दैनिक जागरण आईनेक्स्ट–दि0 03.12.2024

नक्शा पास नहीं कराने वाले पेट्रोल पंप पर होगी कार्रवाई

varanasi@inext.co.in

VARANASI (2 Dec): विकास प्राधिकरण के सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने निर्देश दिया कि सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया कि कुछ लोग बिना नक्शा पास कराए पेट्रोल पंप का संचालन कर रहे हैं. इसके लिए सभी पेट्रोल पंप का सर्वे कर नक्शे की जांच करें. यदि नक्शा नहीं है तो कार्रवाई की जाए. सचिव के सभागार में जोन-3, जोन-4, जोन-5 से संबंधित नवंबर में जमा मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, बकाया शमन शुल्क की वसूली, अस्वीकृत मानचित्र पर प्रस्तावित प्रवर्तन की कार्रवाई, बकाएदारों से वसूली की समीक्षा बैठक कर रहे थे. उन्होंने निर्देश दिया कि बेसमेंट को खाली कराए जाने, अवैध प्लाटिंग का ध्वस्तीकरण, मुकदमा दर्ज कराने का कार्रवाई में तेजी लाएं.

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 03.12.2024

सचिव वाविप्रा की अध्यक्षता में जोन-3, जोन-4, और जोन-5 से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित

अवैध निर्माणों पर होगी सख्त कार्रवाई, शमन शुल्क में कमी पर जताई नाराजगी, दिसंबर में लक्ष्य पूरा करने का निर्देश

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के सभागार में 2 दिसंबर 2024 को सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में जोन-3, जोन-4, और जोन-5 से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें शमन मानचित्र निस्तारण, बकाया और जमा राशि, शिकायत निस्तारण, तथा प्रवर्तन कार्यवाही पर चर्चा हुई। सचिव ने सील भवनों में चल रहे निर्माण कार्यों को तुरंत बंद कराने और बेसमेंट खाली कराने के निर्देश दिए। अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने, संबंधित व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज कराने, और अवैध पेट्रोल पंपों की जांच कर उनके मानचित्र स्वीकृत करने के लिए अभियान चलाने का आदेश दिया। सचिव ने विभिन्न जोनों में जमा शमन शुल्क की समीक्षा की और कमी पर नाराजगी जाहिर की। दिसंबर में लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। नवंबर माह की हुई समीक्षा के तहत जोन-3 में स्वीकृत मानचित्र 31 रहे। इनसे जमा शुल्क 8,26,5692 रुपये का राजस्व मिला। जोन-4 में स्वीकृत मानचित्र 11 रहे। जमा शुल्क 43,77,506 रुपये राजस्व प्राप्त हुआ। जोन-5 में स्वीकृत मानचित्र 6 रहे। जमा शुल्क 2,49,3531 रुपये का राजस्व मिला। समीक्षा बैठक के दौरान सचिव ने सभी पेट्रोल पंपों के सर्वेक्षण का निर्देश दिया। कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके मानचित्र स्वीकृत है कि नहीं। यदि स्वीकृत नहीं है तो प्रभावी कार्यवाही करते हुए मानचित्र जमा कराया जाए। सचिव ने जोनल अधिकारियों को हर माह 10 अवैध प्लॉटिंग की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने का निर्देश दिया। अवैध निर्माणों के संबंध में अधिक संख्या में शमन मानचित्र दाखिल कराने पर भी जोर दिया गया। सचिव ने कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए और सभी क्षेत्रों में अवैध निर्माणों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दिसंबर तक सभी लक्ष्यों को पूरा करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में संयुक्त सचिव परमानंद यादव, जोन-3 के अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, जोनल अधिकारी (जोन-4) प्रमोद कुमार तिवारी, जोनल अधिकारी (जोन-5) श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियंता (जोन-4) उपस्थित रहे।

परफेक्ट मिशन–दि0 03.12.2024

वीडीए सचिव ने किया जोनवार समीक्षा बैठक

अवैध निर्माणों के सापेक्ष अधिक संख्या में शमन मानचित्र दाखिल कराने का दिया निर्देश

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार में सोमवार को सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में जोन-3, जोन-4, जोन-5 से सम्बन्धित माह नवंबर में कुल जमा मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, बकाया शमन शुल्क की वसूली, अस्वीकृत मानचित्र पर प्रस्तावित प्रवर्तन की कार्यवाई, बकायेदारों से वसूली की समीक्षा बैठक की गयी। जिसमें बेसमेंट को खाली कराये जाने के संबंध में, अवैध प्लाटिंग का ध्वस्तीकरण कराने सहित मुकदमा दर्ज कराने, अवैध पेट्रोल पम्प की जाँच करने एवं उनका मानचित्र स्वीकृति हेतु अभियान चलाने व क्षेत्रान्तर्गत हो रहे अवैध निर्माणों के सापेक्ष अधिक संख्या में शमन मानचित्र दाखिल कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में आईजीआरएस पोर्टल पर हुई शिकायतों के निस्तारण की गहन समीक्षा की गई।

नवंबर माह के अंतर्गत जोन 3 में आलोच्य अवधि में 31 शमन मानचित्र पत्रावलियों की स्वीकृति हुई। इस आलोच्य अवधि में 8265692 रुपये शुल्क के तौर पर जमा हुए। जोन 4 में आलोच्य अवधि में 11 शमन मानचित्र पत्रावलियों की स्वीकृति की गई। इस आलोच्य अवधि में 4377506 रुपये शुल्क के तौर पर जमा हुए। जोन 5 में आलोच्य अवधि में 9 शमन मानचित्र पत्रावलियों की स्वीकृति हुई। इस आलोच्य अवधि में 2493531 रुपये शुल्क के तौर पर जमा हुए। सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जोनल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सभी पेट्रोल पम्प का सर्वे करें। यदि स्वीकृत नक्शा नहीं है तो सुसंगत धारा के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाये। सचिव महोदय ने जोनल अधिकारियों को दिसंबर माह में 10 अवैध प्लाटिंग की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने का निर्देश दिया। अवैध निर्माणों के संबंध में अधिक संख्या में शमन मानचित्र दाखिल कराने पर भी जोर दिया। सचिव ने कहा कि नवंबर माह में लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है जिसे दिसंबर माह अंत तक सभी लक्ष्यों को पूरा कर लिया जाए। सचिव ने आईजीआरएस पोर्टल पर हुई शिकायतों के निस्तारण को लेकर नाराजगी जाहिर की। सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जोनल अधिकारी व जेई मौके पर जाएं। संबंधित निर्माण की फोटो खींचे।

शिकायतकर्ता को बुलाकर उनकी बात सुने और नियमानुसार निस्तारण करें। बैठक में सचिव संयुक्त सचिव परमानंद यादव, जोन-3 के अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, जोनल अधिकारी (जोन-4) प्रमोद कुमार तिवारी, जोनल अधिकारी (जोन-5) ओमप्रकाश कुमार समेत अवर अभियंता व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

: vcvdavns : Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in